भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

- 5 JUL 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 998164

अनुबन्ध पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ.प्र. शासन के पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू. / आर.बी.एस.के. / 07 / 2017–18 दिनांक 01.08.2017 एवं मिशन निदेशक एन.एच.एम. उ. प्र. लखनऊ के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम एण्ड आई / 2017–18 / 01 / 4664–75 दिनांक 11.08. 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल टीम के भ्रमण हेतु 34 टैक्सी वाहन ,सपोर्टिव सुपर विजन एवं मानीटरिंग हेतु जनपद स्तर पर 02 टैक्सी वाहन तथा प्रत्येक ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर 01 टैक्सी वाहन, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रतापगढ़ हेतु 01 टैक्सी वाहन तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवश्यकता अनुसार मासिक किराये पर अथवा दैनिक किराये पर जी.पी.आर.एस. लगे हुये टैक्सीपरमिट वाहन किराये पर आपूर्ति करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपादित ई निविदा प्रकिया के माध्यम से चयनित एवं अनुमोदित वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स खुशी इण्टरप्राइजेज दहिलामऊ, प्रतापगढ़ **(प्रथम पक्ष)** तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद प्रतापगढ (सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति) **(द्वितीय पक्ष)** उभयपक्ष आपसी सहमति से आज दिनांक 13.07.2018 को निम्नवत अनुबन्ध सम्पादित करते हैं–

1. प्रथम पक्ष मेसर्स खुशी इण्टरप्राइजेज दहिलामऊ, प्रतापगढ़ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा जारी निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यकमों हेतु जी0पी0आर0एस0 युक्त टैक्सी परमिट वाहन प्रति माह **रू0 25800.00 (रू0 पच्चीस हजार आठ सौ मात्र)** जिसमें सभी देयकर सम्मिलित है, पर द्वितीय पक्ष को टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने पर सहमत है इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की मॉग पर **रू0 993.39 प्रतिदिन किराया दर पर टैक्सी वाहन उपलब्ध करायेगा।**
   (क) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक चिकित्सा इकाई पर मोबाइल हेल्थ टीम हेतु प्रति ब्लाक दो टैक्सी वाहन **(संलग्न सूची क के अनुसार) कुल 34 वाहन**
   (ख) सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर दो टैक्सी वाहन तथा प्रत्येक ब्लाक चिकित्सा इकाई पर एक वाहन (संलग्न सूची ख के अनुसार) कुल [illegible] वाहन
   (ग) जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रतापगढ़ हेतु 01 टैक्सी वाहन **(संलग्न सूची ख कमांक 3 के अनुसार)**
2. प्रथम पक्ष वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता उपलब्ध करायेगा।
   (क) वाहन का पंजीकरण टैक्सी में है तथा टैक्सी संचालन हेतु वैध ठेकागाड़ी प्रमाण पत्र वाहन का स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र अद्यतन रहेगा।
   (ख) वाहन का संचालन टैक्सी वाहन चलाने हेतु अधिकृत लाइसेन्स धारी वाहन चालक द्वारा किया जायेगा।
   (ग) वाहन में प्रत्येक समय प्रथम उपचार किट उपलब्ध रहेगा।

नोटरी रूप नारायण शर्मा मुख्यालय-प्रतापगढ़ रजिस्ट्रेशन नम्बर 23 (12) 1999 उत्तर प्रदेश सरकार

13/7/18

KHUSHI ENTERPRISES

रजनी सिंह

Proprietor

(घ) वाहन में पेट्रोल/डीज़ल प्रथम पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा तथा वाहन चालक के वेतन का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(ड.) किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने, वाहन एवं लाभार्थी व अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति होने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

3. प्रथम पक्ष ड्यूटी पर लगायी जा रही सभी टैक्सी वाहनों का कर्मिशियल बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख अद्यतन एवं वैध रखेगा। यदि किसी भी टैक्सी वाहन के अभिलेख ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय से पुष्टि कराये जाने पर सही नहीं पाये जाते है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध समाप्त करते हुए अनुबन्ध के साथ नियमानुसार जमा की गयी धरोहर राशि को जब्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित कर सकता है।

4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय, पार्किग शुल्क, टोल टैक्स आदि प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5. वाहनो को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में प्रथम पक्ष को अन्य वैकल्पिक टैक्सी वाहन उपलब्ध कराना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में **द्वितीय पक्ष को रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।** प्रथम पक्ष द्वारा सुरक्षा निधि के रूप मे जिला स्वास्थ्य समिति प्रतापगढ़ के **नाम रू0 835920.00 (रू0 आठ लाख पैतीस हजार नौ सौ बीस मात्र)** का पंजाब नेशनल बैंक गारण्टी जो कि सचिव जिला स्वास्थ्य समिति प्रतापगढ़ के पक्ष में बंधक है जो कि द्वितीय पक्ष के पास जमा कर रहा है। जो किसी भी पक्ष के द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।

6. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराया जायेगा जिसका नम्बर वाहन चालक द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा जिससे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया जायेगा।

7. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जायेगी एवं वाहन चालक के पास टैक्सी वाहन संचालन हेतु वैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है। प्रथम पक्ष द्वारा नियोजित की गयी वाहन चालक के लिये नियोक्ता प्रथम पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें। प्रथम पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वाहन चालक नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई दुर्व्यवहार न करें, ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि जब्त कर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण लॉक बुक की छायाप्रति तथा जी0पी0आर0एस0 द्वारा तैयार मासिक यात्रा विवरण की सूची के साथ सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय में आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान नियंत्रक अधिकारी द्वारा बिल के परीक्षणोपरान्त 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा।

8. वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगा। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामाग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशो के अनुरूप करना होगा।

10. प्रथम पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने व जानकारी प्राप्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।

11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण केवल प्रतापगढ़ न्यायालय में होगा एवं उसका निर्णय दोनो पक्षो का मान्य होगा।

12. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है, सम्बन्धित चिकित्सा इकाई मे दूसरी टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है। प्रथम पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण का सन्तोषजनक जबाव न देने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त हो सकती है।

13. सभी टैक्सी वाहने जी0पी0आर0एस0 सिस्टमयुक्त होगी तथा कार्यक्रम के अनुसार चयनित टैक्सी वाहनों में **आर0बी0एस0के0/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लोगो तथा स्टीकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूने के अनुसार अनिवार्य रूप से लगवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।**

14. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में अनिवार्य रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाली ही उपलब्ध होगा।

15. टैक्सी वाहन से कम से कम प्रतिमाह का 25 दिन का कार्य लिया जायेगा यदि किसी दिन आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम की वाहन मोबाइल हेल्थ टीम लेकर स्कूल भ्रमण के लिये नही जाती है तो उस वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यो के लिये किया जायेगा।

16. अनुबन्धित टैक्सी वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर न्यूनतम 08 घंटे प्रतिदिन नियंत्रक अधिकारी की मॉग एवं निर्धारित समय के अनसार उपलबधता सनिश्चित करवाने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

नोटरी
रूप नारायण शर्मा
मुख्यालय प्रतापगढ़
रजिस्ट्रेशन नम्बर
23 (12) 1999
उत्तर प्रदेश सरकार

KHUSHI ENTERPRISES
रंजना सिंह
Proprietor

आर0बी0एस0के0 तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन का संचालन प्रतिमाह न्यूनतम् 1500 कि0मी0 किया **जाना अनिवार्य होगा** तथा सन्दर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज पर ले जाना होगा। यदि वाहन 1500 कि0मी0 प्रतिमाह नहीं संचालित होती है तो सामानुपातिक रूप से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

17. भुगतान हेतु बिल 02 प्रतियों के साथ लॉगबुक की सत्यापित **कॉपी (जिसमें मीटर प्रारम्भ से मीटर अन्त तक तथा यात्रा का पूर्ण विवरण अंकित होगा।)** तथा जी0पी0आर0एस0 द्वारा निर्गत स्टेटमेन्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. प्रथम पक्ष द्वारा अपरिहार्य कारणों से यदि किसी चिकित्सा इकाई पर संचालित टैक्सी वाहन स्थाई रूप से बदली जाती है तो इसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को देनी होगी एवं वाहन बदलने की अनुमति द्वितीय पक्ष से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. वाहन के संचालन के सम्बन्ध में यदि राज्य स्तर/जिला स्वास्थ्य समिति, प्रतापगढ़ से कोई अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त होता है तो उक्त दिशा–निर्देश का अनुपालन उभय पक्ष को करना अनिवार्य होगा।
20. उक्त अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुबन्ध सम्पादित करने की तिथि दिनांक 13.07.2018 से 31.03.2020 अथवा अग्रिम अनुबन्ध सम्पादित करने की तिथि तक वैध रहेगा।

रंजना सिंह

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
प्रोपाइटर मेसर्स खुशी इण्टरप्राइजेज
दहिलामऊ, प्रतापगढ़।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
सदस्य सचिव/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति, प्रतापगढ़।

सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
प्रतापगढ

नोटरी
रूप नारायण शर्मा
मुख्यालय-प्रतापगढ
रजिस्ट्रेशन नम्बर
23 (12) 1999
उत्तर प्रदेश सरकार

13/7/18

KHUSHI ENTERPRISES
रंजना सिंह
Proprietor

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,प्रतापगढ़।

पत्रांकःएन.एच.एम. / डी.पी.एम.यू / वाहन / 2018–19 120 दिनांक 14.07.2018

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई प्रतापगढ हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु सम्पादित ई– निविदा प्रकिया में निविदा समिति द्वारा चयनित वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स खुशी इण्टर प्राइजेज, दहिलामऊ, प्रतापगढ द्वारा सम्पादित अनुबंध दिनांक 13.07.2018 की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी टैक्सी वाहन सूची के अनुसार निम्न लिखित टैक्सी वाहन को जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रतापगढ पर रू. 25800.00 प्रति माह (वाहन किराया,ईधन तथा वाहन चालक खर्च सहित समस्त व्यय अधिकतम 25 कार्य दिवस) की दर से वाहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक प्रभाव से तैनात किया जाता है। वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी को एतत द्वारा निर्देशित किया किया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर वाहन में जी.पी.आर.एस. सिस्टम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का लोगो लगवाकर वाहन जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराये तथा अनुबंधित वाहन का योगदान प्रस्तुत कर उनके निर्देशानुसार वाहन सेवा संचालित करें। उक्त अनुबंध दिनांक 31.03.2020 अथवा अग्रिम अनुबंध सम्पादित करने तक प्रभावी रहेगा।

क्र.स.	वाहन स्वामी का नाम	पता	वाहन का प्रकार	टैक्सी में पंजीकरण संख्या	चिकित्सा इकाई का नाम जहॉं तैनात किया गया
1	कंचन सिंह	लिलौली, मानधाता,प्रतापगढ	बोलेरो	UP-72-AT -3454	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
प्रतापगढ़

489

पृ.सं: उक्त 489-5 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मेंसर्स खुशी इण्टरप्राइजेज, दहिलामऊ, प्रतापगढ़।
2. वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।
3. लेखा लिपिक एन.आर.एच.एम. कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक,एन.एच.एम. प्रतापगढ़।
5. जिला अधिकारी,प्रतापगढ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़
7. मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,उ.प्र. लखनऊ।

मुख्य चिकत्सा अधिकारी,
प्रतापगढ़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
प्रतापगढ़

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,प्रतापगढ़।

पत्रांकःएन.एच.एम. / डी.पी.एम.यू / वाहन / 2018–19 120 दिनांक 14.07.2018

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई प्रतापगढ हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु सम्पादित ई– निविदा प्रकिया में निविदा समिति द्वारा चयनित वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स खुशी इण्टर प्राइजेज, दहिलामऊ, प्रतापगढ द्वारा सम्पादित अनुबंध दिनांक 13.07.2018 की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी टैक्सी वाहन सूची के अनुसार निम्न लिखित टैक्सी वाहन को जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रतापगढ पर रू. 25800.00 प्रति माह (वाहन किराया,ईधन तथा वाहन चालक खर्च सहित समस्त व्यय अधिकतम 25 कार्य दिवस) की दर से वाहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक प्रभाव से तैनात किया जाता है। वाहन सेवा प्रदाता एजेंसी को एतत द्वारा निर्देशित किया किया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर वाहन में जी.पी.आर.एस. सिस्टम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकम का लोगो लगवाकर वाहन जिला कार्यकम प्रबन्धक, एन.एच.एम. जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराये तथा अनुबंधित वाहन का योगदान प्रस्तुत कर उनके निर्देशानुसार वाहन सेवा संचालित करें। उक्त अनुबंध दिनांक 31.03.2020 अथवा अग्रिम अनुबंध सम्पादित करने तक प्रभावी रहेगा।

क.स.	वाहन स्वामी का नाम	पता	वाहन का प्रकार	टैक्सी में पंजीकरण संख्या	चिकित्सा इकाई का नाम जहॉ तैनात किया गया
1	कंचन सिंह	लिलौली, मानधाता,प्रतापगढ	बोलेरो	UP-72-AT -3454	जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रतापगढ़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
प्रतापगढ़

489

पृ.सं: उक्त 489-5 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मेंसर्स खुशी इण्टरप्राइजेज, दहिलामऊ, प्रतापगढ़।
2. वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।
3. लेखा लिपिक एन.आर.एच.एम. कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।
4. जिला कार्यकम प्रबन्धक,एन.एच.एम. प्रतापगढ़।
5. जिला अधिकारी,प्रतापगढ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़
7. मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई,उ.प्र. लखनऊ।

मुख्य चिकत्सा अधिकारी,
प्रतापगढ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
प्रतापगढ़

सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में ई– निविदा के आधार पर तैनात टैक्सी वाहनों की सूची

क.स.	वाहन स्वामी का नाम	पता	वाहन का प्रकार	टैक्सी में पंजीकरण संख्या	ब्लाक का नाम
1	प्रेम शंकर	बड़नपुर,टेउँगा, प्रतापगढ़	अर्टिका	UP-72-AR-0801	जनपद मुख्यालय
2	नगीना देवी	सहोदरपुर पूर्वी, प्रतापगढ	बोलेरो	UP-72-T-9161	जिला मुख्यालय
3	आशीष कुमार सिंह	सहोदरपुर पूर्वी, प्रतापगढ	अर्टिका	UP-72-AT-0048	बेलखरनाथ
4	राजेश कुमार मिश्रा	पूरे गोपाली कटरा इन्द्रकुवर प्रतापगढ	बोलेरो	UP-72-T-9719	सदर
5	आशीष कुमार सिंह	सहोदरपुर पूर्वी, प्रतापगढ	महेन्द्रा टी.यू.वी	UP-72-AT-1331	मानधाता
6	ऊषा सिंह	भुपियामऊ प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AU-5004	शिवगढ़
7	ऊषा सिंह	भुपियामऊ प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AQ-2487	गौरा
8	विमला देवी	कोहराव, पट्टी प्रतापगढ	बोलेरो	UP-72-T-8618	पट्टी
9	अफसर अली	सरौली कटारी प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AT-0952	मगरौरा
10	साजिदा वेगम	जफरापुर, कॉपा, प्रतापगढ	डिजायर	UP-72-AV-7776	सण्डवा चन्द्रिका
11	सुन्दर देई	पुरानी आबकारी रोड सदर, प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AT-0901	आसपुर देवसरा
12	अर्जुन कुमार	भुपियामऊ प्रतापगढ़	अर्टिका	UP-72-AV-7772	लक्ष्मणपुर
13	भगवती प्रसाद सिंह	सराय आनादेव प्रतापगढ	अर्टिका	UP-72-AT-3633	बिहार
14	असरफ खान	रेवती बिहार इन्दिरानगर लखनऊ	डिजायर	UP-32-KN-0609	लालगंज
15	अजय कुमार मिश्रा	अल्लापुर इलाहाबाद	बोलेरो	UP-70-ET-1756	सांगीपुर
16	अजय कुमार सिंह	पींग, कुण्डा प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AT-0551	कालाकांकर
17	बृजेश कुमार मिश्रा	पूरे चरन मिश्र कुण्डा प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AT-1337	बाबागंज
18	राम राज शुक्ला	तिलौरी पूरे शुक्लान कुण्डा प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-AT-1339	कुण्डा
19	पुष्पा शर्मा	संग्रामगढ़ प्रतापगढ़	बोलेरो	UP-72-DE-8481	संग्रामगढ़

CMO
Pratapgarh